



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012023-241675
CG-DL-E-04012023-241675

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2023/पौष 14, 1944

No. 8]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/PAUSHA 14, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023

सं. 01/2023- सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 9(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का. आ. 828 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 15क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा : -

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विमान पत्तन	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
“ 15 ख.	त्रिपुरा	अगरतला	सामान की उतराई एवं सामान की लदाई।”।

[फा. सं. CBIC-50394/156/2022-तस्करी-रोधी खंड-CBEC]

डॉ. राजी एन.एस., अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का. आ. 828 (अ), 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 72/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 13 सितम्बर, 2021, सा.का.नि. 629 (अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2023

No. 01/2023-Customs (N.T.)

G.S.R. 9(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 61/94-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 15A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

SI. No.	State/Union Territory	Airport	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
“ 15B.	Tripura	Agartala	Unloading of baggage and loading of baggage.”.

[F. No. CBIC-50394/156/2022-Anti Smuggling Section-CBEC]

Dr. RAJI N.S., Under Secy.

Note:- The principal notification No.61/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994 and was last amended by notification number 72/2021-Customs (N.T.) dated the 13th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 629 (E), dated the 13th September, 2021.